



# सी.डब्ल्यू.सी की बैठक में कांग्रेस ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाये

पर, पार्टी ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई, मतपत्र के माध्यम से  
वोटिंग कराने की प्रक्रिया पर लौटने के बारे में

-रेणु मित्तल -  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर हरियाणा और महाराष्ट्र में जरबदस्त हार के बाद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल छढ़े किये हैं लेकिन सी.डब्ल्यू.सी. वोटिंग के बाद आपे प्रस्ताव में, पार्टी ने मतपत्र से चुनाव की व्यवस्था पर लौटने के मासले पर कुछ हिचकिचाहट दिखाई। लौटने के लिये कहाँ से बचती नजर आई।

पार्टी अध्यक्ष मलिककार्जुन खड़ेगे ने सी.डब्ल्यू.सी. का बह प्रस्ताव पढ़ कर सुनाया, जिसमें पार्टी ने कहा था कि वह मतपत्र-व्यवस्था पर लौटना तथा ई.वी.एम. व्यवस्था को छोड़ देना चाहती है।

इस बिंदु पर कई नेता बोले, लेकिन सर्विक स्पष्ट शब्दों में केवल प्रियंका गांधी ने ही कहा कि पार्टी इस विन्दु पर बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये कि वह ई.वी.एम. व्यवस्था चाहती है या मतपत्र व्यवस्था चाहती है तथा इस मामले में स्थिति गोलमोल या अस्पृश नहीं होनी

- प्रियंका गांधी ने जरूर स्पष्ट शब्दों में कहा, कि पार्टी को साक कहना चाहिए वह ई.वी.एम. के पक्ष में है या बैलैट पेपर से चुनाव कराने के पुराने सिस्टम के। इसमें असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक उनकी व्यक्तिगत राय है, वे मतपत्र (बैलैट पेपर) से मतदान के पक्ष में हैं।
- राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को सदा अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) के समर्थन में बोलना चाहिये, जब भी उन पर हमला होता है, जैसा हाल ही में यू.पी. में हुआ है। राहुल का कथन, पार्टी के उस वर्ग के लिए जावाब था, जो राहुल को सम्भल न जाने की सालाह दे रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा से तो इस छिप को मजबूती मिलती है, कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है।
- खड़ेगे ने कहा, कि पार्टी को पुनः पटरी पर लाना है, पर इस राह में कई रुकावें हैं, वरिष्ठ नेताओं के रूप में। खड़ेगे ने इस सन्दर्भ में यह भी कहा कि सख्त निर्णय लिये जायेंगे आगे वाले कुछ दिनों में।
- कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो आन्तरिक तौर पर राय देंगी, कैसे पार्टी को चुस्त व चुनाव लड़ने के लिए प्रभावी तौर पर तैयार किया जा सकता है।

चाहिये उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनका प्रश्न है, वे मतपत्र व्यवस्था के पक्ष में हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि जब भी अल्पसंख्यकों पर हमला होते हैं, उस समय पार्टी को उनके पक्ष में बोलने में हिचकना नहीं चाहिये। उन्होंने यह बात उत्तर प्रदेश की हाल ही की बंधनाओं के संदर्भ में कही, जहाँ अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहे हैं। पार्टी का बड़ा वर्ग राहुल के सम्भल दौरे के पक्ष में नहीं था क्योंकि उनके दौरे से इस सोच को और बल मिलता था कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थकों पर हमला हो रहा है।

उन्होंने यह कहा कि जब भी उत्तर प्रदेश के लिए जावाब था, जो राहुल का कथन, पार्टी के उस वर्ग के लिए जावाब था, जो राहुल को सम्भल न जाने की सालाह दे रहे थे, क्योंकि उनकी यात्रा से तो इस छिप को मजबूती मिलती है, कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है।

■ खड़ेगे ने कहा, कि पार्टी को पुनः पटरी पर लाना है, पर इस राह में कई रुकावें हैं, वरिष्ठ नेताओं के रूप में। खड़ेगे ने इस सन्दर्भ में यह भी कहा कि सख्त निर्णय लिये जायेंगे आगे वाले कुछ दिनों में।

■ कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो आन्तरिक तौर पर प्रभावी तौर पर तैयार किया जा सकता है।

## दुष्कर्म के प्रयास की सजा पर अपील खारिज

जयपुर, 29 नवम्बर राजस्थान हाईकोर्ट ने फटवरी, 1985 में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने से जुड़े मामले में वर्ष 1992 में दायर अपील को खारिज कर, याचिकाकर्ता अधिकृत को शेष सजा भूतवाने के लिए सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठे ने यह आदेश शिव प्रकाश की याचिका पर दिए घटना के समय अधिकृत को शेष साल का था। अब, अब 59 साल की उम्र में फैसला आया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा

कि प्रयास करने के लिए एसबेस पर होने वाले संबंधित अपराध करने को इशारा किया गया है।

■ वर्ष 1985 के अपराध पर हाईकोर्ट का निर्णय अब आया। बीस साल की उम्र में किए अपराध की सजा 59 साल की उम्र में भुतानी होगी।

चाहिए उसके बाद ऐसा कार्य किया जाए, जो अनिवार्य रूप से अपराध करने के लिए किया गया हो। वहाँ, ऐसा कार्य अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। मामले में अधिकृत ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के लिए वह सबकुछ किया, जो जरूरी था। ऐसे में यह अल्पसंख्यकों पर आपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में कांग्रेस समर्थक व्यवस्था का अधिकारी ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■ याचिका में अधिकृत ने अपराध के परिवास के निकट होना चाहिए। यह भी अपराध करने के लिए जारी करने की जरूरी है।

■







# 'जयपुर में 5000 करोड़ के वेटरनरी कॉलेज पर पिछले पांच साल से अवैध कब्जा'

डॉ. किरोड़ी मीणा और कॉलेज संस्थापक 92 वर्षीय डॉ. राज खरे ने ए.सी.बी. मुख्यालय पहुंचकर धरना दिया



डॉ. राज खरे ने ए.सी.बी. मुख्यालय पर धरना दिया।

जयपुर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शुक्रवार को चौथोंवेळे विकासकाल डॉ. राज खरे के साथ ज्ञानान स्थित आश्वाचार मीणालय पहुंचा। जहां उहोने आगरा रोड पर 5000 करोड़ के वेटरनरी कॉलेज पर कब्जा करने की शिक्षायत की। भीं किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरवीशंह शेखावत ने अमेरिका जाकर डॉक्टर राज खरे को राजस्थान में निवेश का न्यौता दिया था। इसके बाद इन्होंने रुपए लाकार जयपुर में आगरा रोड पर बहुत बड़ा अपेलो वेटरनरी कॉलेज खोला था। जो मौजूदा वर्तमान में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की प्रौप्तवी है। पिछले कुछ सालों में वहां असामाजिक तत्वों ने कॉलेज कर लिया है।

डॉ. राज खरे ने 2024 से राजस्थान पर धरना दिया। एसीबी में भी इहोने तीन केस दर्ज कर दिए। तीनों विभिन्न जांच अधिकारियों से प्रमाणित भी हैं। परंतु कोई कोई सुनाई या कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई ने इस मामले में कानून धन इकट्ठा कर लिया है। अब निवेश की प्रौप्तवी फिर से इहोंने दिलानी चाहिए।

मुख्यमंत्री की सुनाई की बाबी नहीं हो रही। इस साल पर भी सुनाई की बाबी हो रही है। एसीबी ने इस ज्ञानान से बाहर ही न जाने का वह जरूरी एसीबी के द्वारा जारी कर लिया है।





